पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 368/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-20.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना सरायमीरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.12.2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह व उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मो0 असलम पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद ग्राम बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर के साथ कमालपुर मोड़ के पास से समय 23.00 पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 651/24 धारा 3/25 आयुद्य अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 0251/2016 धारा 379, 41, 411, 419, 420 थाना कोतवली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 651/24 धारा 3/25 आयुद्य अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 387/10 धारा 110 जी भारतीय दंड संहिता थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 486/10 धारा 3(4) गुंडा अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
5.मु0अ0सं0 549/10 धारा 110 भारतीय दंड संहिता थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 731/10 धारा 307 भारतीय दंड संहिता थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 869/10 धारा 302 भारतीय दंड संहिता थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 1736/11 धारा 8/20 स्वापक औषधि अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

02. थाना जहानागंजः बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाला वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.12.2024 को गुन्जन यादव अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह बिजली विभाग के कर्मचारी श्री रामदुलार गुप्ता (लाइनमैन), श्री प्रिन्श यादव, एवं श्री रामाश्रय राम, सुनील यादव के उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 17.12.2024 को बिजली विभागीय कार्य में एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत बकायेदारों का बिल जमा कराये जाने एवं बकायेदारों का बकाया जमा न करने पर उच्चअधिकारियों के निर्देशानुसार विच्छेदन कराये जाने के दौरान ग्राम असोना में उपभोक्ता हरिकेश सिंह पुत्र श्री लल्लू सिह ग्राम व पोस्ट अशोना थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के संयोजन संख्या 093951XXXX पर 20841 = 00 (रुपये बीस हजार आठ सौ इक्कतालिस) बकाया होने, जिसका विद्युत विल इनके द्वारा जमा करने से मना कर देने पर उच्चाधिकारियो के निर्देशन के क्रम में इनका केबल विच्छेदित के दौरान आरोपीगण द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा को लोहे के कड़े एव हेलमेट तथा लात घूसे से मारने पीटने जिससे वादी मुकदमा के बेहोश हो जाने व बिजली विभाग के अन्य कर्मचारियों रामदुलार गुप्ता एवं प्रिन्स यादव को भी हेलमेट व लोहे की चुल्हा से प्रहार करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के सम्बन्ध में दिया जिनको तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 619/24 धारा 121(1), 132, 115(2), 110, 3(5) BNS दिनांक घटना 17.12.24 समय 15.50 बजे घटनास्थल वहद ग्राम असोना वफासला 14 किमी उत्तर व दिनांक सूचना रपट कायमी हाजा तारीखी इमरोजा वमुद्दैयत श्री गुन्जन यादव उपरोक्त बनाम 1. हरिकेश सिंह पुत्र लल्लू सिह, 2. आकाश सिंह पुत्र रमेश सिंह, 3. रणविजय सिंह पुत्र रतन सिंह, 4. हिमांशू सिंह पुत्र विजयी सिंह, 5. रमेश सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासीगण ग्राम व पोस्ट अशोना थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री मदन कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 20.12.2024 उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी असोना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को सिक्सलेन पुल के नीचे असोना के पास सेसमय 11.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

03.थाना- कोतवाली: वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना / इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी शमसुल हसन पुत्र स्व0 मुस्तफा हुसैन निवासी KHA 425 दाऊद नगर फैज़ुल्लागंज लखनऊ द्वारा दिनांक 20.05.2024 को सूचना दी गयी कि वादी आजमगढ़ फर्स्टक्राई स्टोर नगर पालिका पे नौकरी करता हैं। दिनांक 13.02.2024 को सायंकाल 9.15 बजे क्लेक्ट्रेट पार्क के पास अपना मोबाईल नं098894xxxx मोबाईल सेट सैमसंग A71 हाथ से गिर गया, एक मोटरसाईकिल से दो लड़के आये थे और मेरा मोबाईल फोन चुरा कर लेकर चले गये, उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना प्रत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0312/2024 धारा 382 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 19.12.2024 को उ0नि0 यश सिंह पटेल, उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. नरेन्दर कुमार पुत्र स्व0 सीता राम निवासी बनियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 21 वर्ष 2. रवि यादव उर्फ बाढ़ू पुत्र सुनील यादव निवासी उंचागांव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 19.12.24 को समय 12.50 बजे सहित शहर के तरफ से बन्धे वाली सडक के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04.थाना- कोतवाली: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना / इतिहास –

वादिनी द्वारा दिनांक 01.11.2024 को प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी पंकज राजभर पुत्र गुड्डू राजभर निवासी बकटही थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र 23 वर्ष द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है, दिनांक 14-02-2024 को शादी किया और दिनांक. 15-5- 2024 ई को लेकर रात्रि में लगभग 9.00 वजे अपने घर पहुंचा वहाँ पर उसके माता पिता परिवार वाले प्रार्थिनी को देखकर भड़क गये उन्होंने वादिनी गाली गलौज देते हुए साजिश के तहत पंकज को कही भगा दिये है। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना प्रत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0—609/2024 धारा 376/342/504/313/294 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 19.12.24 को व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अभियुक्त पंकज राजभर पुत्र गुड्डू राजभर निवासी बकटही थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र 23 वर्ष को समय 09.30 बजे चर्च चौराहे के पास प्राइवेट बस अड्डा नरौली पुल की तरफ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

05.थाना–कन्धरापुरः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक- 19.12.2024 को वादिनी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ को शादी का झांसा देकर दिनांक 27/10/2024 को शशिकान्त कुमार S/0 गुलाब राम ग्राम गड़वल थाना मुबारकपुर ने मोतीगंज के मेले से भगा ले जाना तथा जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना इसके बाद दिनांक 11.12.2024 को प्रार्थिनी को अपने साथ लेकर अपने गाँव के सिवान में छोड़कर कही भाग गया और बोला की तुम हमारे घर चलो कुछ देर में आउगा मगर वह दिनांक 15.12.2024 को घर पर आया इस बीच प्रार्थिनी को लड़के पिता गुलाब राम माता कुसुम देवी और भाई शनी कुमार चाचा रघुबर वे लोग मिलकर चार दिनो में प्रार्थिनी को काफी प्रताडित किये शशिकान्त कुमार पर प्रार्थिनी की शादी के लिये दवाव बनाई तो अब वह शादी से इन्कार कर रहा है तथा प्रार्थिनी को इस बीच लड़के पिता गुलाब राम माता कुसुम देवी भाई शनी कुमार काफी मारे पिटे भद्दी भद्दी गालिया दिये, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 344/2024 धारा 87/69/115(2)/352/351(2) BNS बनाम 1. शशिकान्त कुमार S/0 गुलाब राम 2. गुलाब राम पुत्र अज्ञात 3. माता कुसुम देवी पत्नी गुलाब राम 3. भाई शनी कुमार पुत्र गुलाब राम 5. चाचा रघुबर पुत्र अज्ञात ग्राम गड़वल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के विरूद्ध पंजीकृत कराये।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.12.2023 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शशिकान्त पुत्र गुलाब निवासी ग्राम गड़वल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 25 वर्ष को अभियुक्त के घर से समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

06. थाना – अहरौला: दुष्कर्म करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का पूर्व का विवरण-

दिनांक 13/12/2024 को वादी मुकदमा थाना कप्तानगंज के लिखित सूचना के आधार पर वावत विपक्षी 1. सनी राय पुत्र राजेंद्र 2.अनूप राय पुत्र राजेश राय 3.रामभवन सोनी पुत्र सूर्यभान 4.आशीष यादव पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका यादव 5. उर्मिला पत्नी राजेंद्र 6. 2 अन्य अज्ञात लोग निवासी ग्राम समदी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन के साथ दुष्कर्म किया गया जिससे वादी की बहन गर्भवती हो गयी, अभियुक्त की माँ द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 519/2024 धारा 376D/504/506/34 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध) /3(2)(5) SC/ST एक्ट बनाम 1. सनी राय पुत्र राजेंद्र आदि 05 नामजद व 02 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 19.12.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सनी कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी समदी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 2.आशीष यादव पुत्र मन्द्रिका यादव निवासी समदी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 3. अनूप कुमार राम पुत्र स्व0 राजेश राम निवासी समदी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब 21.10 बजे हिरासत पुलिय मे लिया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.12.2024, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अतरौलिया- दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये जुर्माना से किया गया दण्डित

➡ दिनांक- 28.10.2018 को वादी मुकदमा राम उजागिर राजभर पुत्र स्व0 रामसुमेर राजभर निवासी चुमकुनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक-28.10.2018 को विपक्षी 1.अरविन्द राजभर पुत्र रामशब्द, 2. ओम प्रकाश पुत्र रामशब्द, 3. राम शब्द पुत्र महाबल समस्त निवासीगण सहानपटटी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मार दिया गया था।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 239/2018 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 13 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 20.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-3 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अरविन्द राजभर पुत्र रामशब्द, 2. ओम प्रकाश पुत्र रामशब्द, 3. राम शब्द पुत्र महाबल समस्त निवासीगण सहानपटटी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।